

संख्या-1133/एक-10-2023-33(12)/2021

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, एटा, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बागपत एवं जौनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक- 01/08/2023

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में राहत की वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार ₹० 43,00,000/- (₹० तैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम सं०	जनपद का नाम	बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण	स्वीकृत धनराशि (₹० में)
1	2	3	4
1	लखनऊ	32	16,00,000/-
2	एटा	25	12,50,000/-
3	उन्नाव	11	5,50,000/-
4	वाराणसी	9	4,50,000/-
5	प्रयागराज	5	2,50,000/-
6	मुरादाबाद	2	1,00,000/-
7	बागपत	1	50,000/-
8	जौनपुर	1	50,000/-
	योग	86	43,00,000/-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का

उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद या विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 43,00,000/- (₹0 तैंतालिस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष- 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

Date: 01-08-2023 18:34:48

Reason: Approved
(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या-1133(1)/एक-10-2023-33(12)/2021 तह्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30 प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30 प्र0 शासन।

- 4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ० प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ० प्र०।
- 10- वित्त नियंत्रक, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-03/08/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1133
001-1133
51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	एट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1250000 1250000	1250000 1250000
2	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 200000	100000 200000
3	प्रयाराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	250000 450000	250000 450000
4	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	450000 4411600	450000 4411600
5	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 150000	50000 150000
6	लखनऊ कलेक्ट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1600000 2150000	1600000 2150000
7	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	550000 650000	550000 650000
8	बाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 50000	50000 50000
	योग	वर्तमान प्रणामी	4300000 9311600	4300000 9311600

महायोग-(वर्तमान आवंटन):-
महायोग-(प्रणामी आवंटन):-

रूपया तियालीस लाख
रूपया तिरानवे लाख ग्यारह हजार छः सौ

7

(अखिलेश प्रताप सिंह)



Allocation Report

उत्तर प्रदेश
 शिक्षा विभाग

यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करती है।
 इस सूची में छात्रों के नाम, पते, और अन्य संबंधित विवरण शामिल हैं।
 इस सूची को ध्यानपूर्वक जांचें और आवश्यक होने पर सुधार करें।

(सूची जारीकर्ता)

क्र.सं.	नाम	पता	संबंधित विवरण
000001	अमित कुमार	123 Main St, Lucknow	उत्तर प्रदेश
000002	प्रीति शर्मा	456 Park St, Kanpur	उत्तर प्रदेश
000003	राजेश कुमार	789 Hill St, Varanasi	उत्तर प्रदेश
000004	सवित्री देवी	1010 Lake St, Allahabad	उत्तर प्रदेश
000005	अनिल कुमार	2020 Canal St, Gorakhpur	उत्तर प्रदेश
000006	प्रिया शर्मा	3030 Canal St, Patna	उत्तर प्रदेश
000007	विजय कुमार	4040 Canal St, Lucknow	उत्तर प्रदेश
000008	सुनील कुमार	5050 Canal St, Lucknow	उत्तर प्रदेश
000009	अंशु शर्मा	6060 Canal St, Lucknow	उत्तर प्रदेश
000010	अमित कुमार	7070 Canal St, Lucknow	उत्तर प्रदेश